कार्यालय– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी

दिनांकः 19 सितम्बर 2019

प0सं0 /ट्रैवल–ट्रैड/2019–20

प्रोराइटर/प्रबन्धक

....

समस्त होटल /पर्यटक आवास गृह/गेस्ट हाउस
धर्मशाला/टैन्ट कॉलोनी।

विषयः– **राज्य को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सहभागिता के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनमानस में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से विशेष रूप से सर्वाजानिक स्थानों में धूम्रपान करने से आम जनता को सेकन्ड हैड स्मोक का सामना करना पड़ता है जिसके कारण हर साल कई लोगों को जान गवानी पड़ती है, सेकन्ड हैंड स्मोक के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कोटपा/अधिनियम के मानकों के अनुरूप किसी भी सार्वजनिक स्थान यथा होटल/गेस्ट हाउस, रेस्ट्रा संस्थान/कार्यालय, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन में तम्बाकू का सेवन निषेध है।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार अपने–अपने होटल/गेस्ट हाउस, रेस्ट्रा, संस्थान/कार्यालय ,बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंव अन्य परिसरों को धूम्रपान मुक्त करने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1– कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार होटल/गेस्ट हाउस रेस्ट्रा संस्थान/कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंव अन्य परिसरों को धूम्रपान मुक्त करने के लिये उक्त संस्थानों के मुख्य द्वार पर धूम्रपान निषेध का पोस्टर लगा होना चाहिए जिसमें संस्थान के मुख्य या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी का नाम, पदनाम एंव दूरभाष नम्बर लिखा होना चाहिए।

2– संस्थान के हर मंजिल में धूम्रपान निषेध के साईनेज/पोस्टर लगे होने चाहिए।

अतः आप अपने होटल/गेस्ट हाउस, संस्थान को स्मोक मुक्त करने हेतु उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए प्रदूषण मुक्त रखने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

(प्रकाश सिंह खत्री)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पृ0प0सं0 443 /समदिनांकित/2019

प्रतिलिपिः–
1– जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उत्तरकाशी।
3– मुख्य चिकित्सक अधिकारी, उत्तरकाशी।
4– कु0 प्रियंका तिवारी, डिविशनल कोऑर्डिनेटर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बालाजी सेवा संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, 19/9/19
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner